रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-590/2026/1550/22-2-2025-17(568)/2024

लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी रवीन्द्र कुमार (बन्दी संख्या-168/2013) पुत्र श्री विफई, निवासी-ग्राम-हरखूपुर, थाना-खोंडारे, जनपद-गोण्डा, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-187/2001 में धारा-302/34, 307, 427 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के आदेश दिनांक 01.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 18.04.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.07.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 21 दिन की सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या- 590/2026/1550(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।।

3- पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in